(74)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

प्रकरण कमांक 3508–एक/2015 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 21.10.2015 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह जिला मुरैना – प्रकरण कमांक 117/2014–15 अपील

1– केदार 2– रामप्रकाश 3– मुन्नालाल
4– रामलखन 5– तुलाराम 6– सभाराम
सभी पुत्रगण जानकारी प्रसाद वघेले,
निवासी कछपुरा मौजा खिरैठा
तहसील अम्वाह जिला मुरैना
--- आवेदकगण

विरूद्ध

1– कु0प्रेमवती 2– कु0गुडडी 3– कु0रामदुलारी
4– कु0रामसखी पुत्रियॉ फुॅदी वघेले
निवासी कछपुरा मौजा खिरैठा
तहसील अम्वाह जिला मुरैना
--- अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से श्री सुनील जादौन अभिभाषक)
(अनावेदकगण की ओर से श्री बी0एस0धाकड़ अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक १० जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 117/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–10–15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम खिरैटा तहसील अम्वाह स्थित भूमि सर्वे कमांक 93 रकबा 0.30 है., 95 रकबा 0.80 हैक्टर,

96 रकबा 0.80 हैक्टर, 97 रकबा 0.50 हैक्टर आवेदकगण एंव अनावेदक के नाम हिस्सा 1/2 पर शासकीय अभिलेख में अंकित है। आवेदकगण ने नायव तहसीलदार वृत्त दिमनी तहसील अम्वाह के समक्ष आवेदन देकर अनोदकगण के हिस्से की भूमि पर स्वयं का कब्जा दर्ज करने की मांग करने पर प्रकरण कमांक 81/13-14 बी 121 पंजीबद्ध किया गया तथा अनावेदकगण की अनुपस्थिति के कारण आदेश दिनांक 27-12-2014 पारित करके आवेदकगण का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये गये। नायव तहसीलदार वृत्त दिमनी तहसील अम्वाह के प्रकरण कमांक 81/13-14 बी 121 में पारित दिनांक 27-12-2014 के विरूद्ध अनावेदकगण ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष दिनांक 13-7-15 को प्रस्तुत की एंव विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने प्रकरण कमांक 117/14-15 अपील में हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर अंतरिम आदेश दिनांक 21-10-15 पारित किया एंव अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करके प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि ग्राम खिरैटा तहसील अम्वाह स्थित भूमि सर्वे कमांक 93 रकबा 0.30 है., 95 रकबा 0.80 हैक्टर, 96 रकबा 0.80 हैक्टर, 97 रकबा 0.50 हैक्टर के संपूर्ण भू भाग पर आवेदकगण का कब्जा चला आ रहा है एंव अनावेदकगण कभी खेती करने नहीं गई हैं आवेदकगण खेती कर रहे हैं जैसाकि तहसील न्यायालय में आई साक्ष्य से एंव राजस्व निरीक्षक व

पटवारी व्दारा मौके पर की गई जांच एंव पूछताछ से प्रमाणित हुआ है । अनावेदकगण तहसील न्यायालय में इसीलिये अनुपस्थित रही हैं क्योंकि उन्हे मालूम है कि उक्त भूमि से उनका कोई वास्ता नहीं है तहसील न्यायालय का आदेश सही है । नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 27-12-2014 के विरूद्ध लम्बे समय वाद अपील की गई है। लम्बे समय तक आवेदकगण का वाद विचारित भूमि पर कब्जा होने से उनके कब्जे को डिस्टर्व नहीं किया जा सकता। अनुविभागीय अधिकारी ने बेरूम्याद अपील में विलम्ब क्षमा करके पक्षकारों के बीच मुकदमेवाजी बढ़ाई है । उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत कर बताया है कि अनावेदिकाओं के खिलाफ नायव तहसीलदार ने एकपक्षीय कार्यवाही करके आदेश दिया है। जब अनावेदकगण बाजरा की फसल बोने 6-7-15 को खेतों पर गई तब उन्हें आवेदकगण ने रोक दिया व झगढ़ा करने लगे। इसके वाद पता करने पर नायव तहसीलदार के आदेश की जानकारी होने पर प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर जानकारी के दिन से समयावधि में अपील प्रस्तुत की गई है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने ठीक ही समयावधि में प्रस्तुत होना माना है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार वृत्त दिमनी तहसील अम्वाह के प्रकरण कमांक 81/13-14 बी 121 में पारित दिनांक 27-12-2014 के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष दिनांक 13-7-15 को अपील प्रस्तुत की है । यह तथ्य भी निर्विवाद है कि नायव तहसीलदार ने अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया है तब क्या

अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की है ?

1. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा-47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963-धारा-5 - पर्याप्त कारण होने से न्यायालय वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है - उद्घोषणा तथा समन विधि के अनुसरण में नहीं होने पर विलम्ब माफ किया जायेगा।**
2. **परिसीमा अधिनियम 1963-धारा-5 एंव भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा-47 - सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार-रुख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।**

उपरोक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह जिला मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 117/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-10-15 से अनावेदकगण व्दारा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है, जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 21-10-15 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 117/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-10-15 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर